

फर्द अहकाम

खांवर छिद बनाम हिम्मत छिद

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर बस्ती जि जयपुर

केस संख्या 125/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	19/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं वादी स्वयं उपस्थित। वादी खांवर छिद ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबर वादपत्र को बिड़ो कर खारिज करवाने का मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सह-खातेकारी के मध्य में आपस में राजीनामा आपसी सहमति से हो जाने के कारण नया वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये बिड़ा कर खारिज करवाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पदचान वादी अधिवक्ता को सुधीर शर्मा के द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थना/वादी को प्रार्थना पत्र वादपत्र को बिड़ा पर सुनने के उपरान्त न्यायक्षि का ध्यान में रखते हुये प्रार्थना/वादी का प्रार्थना पत्र वादपत्र को बिड़ा कर खारिज करवाने का स्वीकार</p>	

केस नंबर
 125/2024
 दिनांक
 19/11/2024

फर्द अहकाम

रत्नांशु सिंह बनाम हिम्मत सिंह

सहायक कलेक्टर बस्ती जिला जयपुर


12/5/2024

देनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

किया जाकर वादपत्र को विद्धी करने
की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः
प्रार्थना पत्र विद्धी का स्वीकार कर
विद्धी की अनुमति दी जाने से वादी
का वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेसल सुमार होकर
बाद तकरीफ दाखिल दफ्तर होकर
नम्बर कम है।


सहायक कलेक्टर
बस्ती जिला - जयपुर ग्रामीण